मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

// आदेश //

भोपाल, दिनांकः 07/01/2021

क्रमांकःएफ.17-1/2021/38-1 :: शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में कार्यरत डॉ. बी.के. शर्मा (प्राध्यापक, संस्कृत) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय बी.के.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर को महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में अपराध क्रमांक 354 के तहत थाना प्रभारी लालघाटी पुलिस थाना, शाजापुर द्वारा दिनांक 26/12/2020 द्वारा 15:03 बजे विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, जो की वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, की जानकारी की पुष्टि वर्तमान प्रभारी प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा की गई है।

2/ डॉ. बी.के. शर्मा, प्राध्यापक, संस्कृत, शासकीय बी.के.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर को 48 घन्टे से अधिक कालावधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद् तत्काल प्रभाव से डॉ. शर्मा को निलंबित किया जाता है।

3/ निलंबन अवधि में डॉ. बी.के. शर्मा का मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा, तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

07.01.21
(श्वेता पवार)
उप सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांकः एफ.17-1/2021/38-1 भोपाल, दिनांकः 07/01/2021

प्रतिलिपि:-

1/ स्टॉफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.
3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल म.प्र.
4/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला शाजापुर म.प्र.
5/ क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.की ओर इस निर्देश के साथ की संबंधित को निलंबन आदेश की प्रति तामिल करवाकर पावती की प्रति इस कार्यालय को भेजें।
6/ प्राचार्य, शासकीय बी.के.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर म.प्र.
7/ डॉ. बी.के. शर्मा (प्राध्यापक, संस्कृत) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय बी.के.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर म.प्र.
8/ आर्डर बुक।

07.01.21
उप सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग